

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम के तालिका में जारी हुए</p>
-----------------------	--	---

27/04/22

पञ्जावली आज पेश हुई
अदिवतना अपीलान्त अर्जु
अदिवतना अपीलान्त को बरकर हेतु निरन्तर
अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। इसके
बावजूद भी अदिवतना अपीलान्त न्यायालय में
उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। आज न्यायालय
में अपीलान्त एवं उनके द्वारा नियुक्त
अदिवतना को बरकर हेतु बार-बार आवाजे
लगाई गईं परन्तु अपीलान्त या उनके अदिवतना
में से कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं
हुआ। अतः राजस्थान अथवा राजस्थान अधिनियम
1956 के धारा 63 (1) के तहत अपील
अपीलान्त अथवा पेशी में खारिज हो
जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को रिकॉर्ड
नियंत्रण के अन्तर्गत सार्व अधीनस्थ न्यायालय
को प्रेषित हो। पञ्जावली कुल्लू में शुमार
होकर नम्बर से उभरे हैं।


जज. बिना कलेक्टर, पावा